

भारत सरकार

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त

मेरठ

Speed Post
[Signature]

दिनांक: 05-03-2002

सेवा में,

✓ श्री प्रवीन कुमार जैन
जे-234, पटेल नगर-1,
जाजिदा बाई

महोदय,

विषय:- धनकर अधिनियम, 1957-धारा 34-कख-34 आई धनकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, दानकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मूल्यांकन के रूप में पंजीकरण तत्सम्बन्धी सूचना -

उपर्युक्त विषय पर आप के द्वारा दिये गये आठेदन-पत्र दिनांक के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि माननीय मुख्य आयकर आयुक्त ने आप का नाम नीचे उल्लिखित परिसम्पत्तियों की श्रेणी के लिये धनकर अधिनियम 1957 की धारा 34-क ख के अधीन मूल्यांकन के रूप में सहर्ष पंजीकृत नवीनीकृत कर लिया है।

[कृषिश्रमि, वाणान, बानिजि एवं श्रवण के अतिरिक्त]

मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा रखे जाने वाले मूल्यांकन रजिस्टर में आपका पंजीकरण संख्या - 38 की श्रेणी - A है। आपका पंजीकरण दिनांक 05-03-2002 से प्रभावी होगा।

3. मूल्यांकन के रूप में आपका नाम मूल्यांकन रजिस्टर पर तब तक जारी रहेगा जब तक आपका नाम धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 34 क ख के अधीन हट नहीं दिया जाता।

4. कृपया यह नोट किया जाय कि :

1. आपसे अनुरोध है कि आप मूल्यांकन रिपोर्ट धनकर नियम 1988 के नियम 8-ध के अधीन निर्धारित उपर्युक्त फार्म में प्रस्तुत करें।

2. आपके द्वारा किसी परिसम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये ली जाने वाली फीस धनकर नियम, 1988 के नियम 8-ग के अधीन निर्धारित दरों पर परिकलित धनराशि से अधिक नहीं होगी।

॥ ग॥ जब कभी आप पर कोई अर्थदण्ड लगाया जाय, तो आप एक माँह के अन्दरी अर्थदण्ड के स्वरूप के सम्बन्ध में मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ को अवश्य सूचित करें, जैसा कि धनकर नियम, 1988 के नियम 8-क॥ 13॥ के आधीन उल्लेख किया गया है।

॥ घ॥ जैसे ही आप किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी गैर सरकारी नियोक्ता के पास रोजगार स्वीकार करें, ऐसे ही आप मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ एवं सम्बन्धित आयकर आयुक्त को सूचित करें। जिस अवधि में आप नियोजन में रहेंगे, उस अवधि के लिये वंजीकरण स्थगित रहेगा और इस अवधि के दौरान की गयी कोई भी मूल्यांकन रिपोर्ट अवैध मानी जायेगी, और

॥ ङ॥ ऊपर उल्लिखित ॥ ग॥ और ॥ घ॥ के अनुदेशों के उल्लंघन के मामले, यदि मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ के ध्यान में लाये जाते हैं, तो मूल्यांकन के रूप में किया गया आपका वंजीकरण धनकर अधिनियम 1957 की धारा 34 क घ के आधीन रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

अजीत सिंह

आयकर अधिकारी (तम०)

कृते मुख्य आयुक्त, मेरठ
Incometax Officer (Tech.)

For Chief Commissioner of Incometax

MEERUT

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयकर आयुक्त, गार्जियाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अजीत सिंह

आयकर अधिकारी (तम०)

कृते मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ

(AJIT SINGH)

Incometax Officer (Tech.)

For Chief Commissioner of Incometax

MEERUT